निरीक्षण आख्या

प्रस्ताव संख्या 9917 / 2015

अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत द्वारा लेटी रियसी से तरकुली मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.08.2015 को निरीक्षण किया गया।

इस मार्ग निर्माण में प्रस्तावित संरेखण में **कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं0 902 है** अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 942 / 12–1 दिनांक 07.09.2015 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संरेखण बहुपयोगी प्रजाति वाले वृक्षों से आच्छादित होने के कारण वैकल्पिक संरेखण पर विचार करने हेतु लिखा गया था **पत्र की छायाप्रति संलग्न है**। प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत ने अपने पत्रांक 877 / 12–1 दिनांक 23.09.2015 द्वारा अन्य वैकल्पिक संरेखण बसावट से संयोजित नही होती अवगत कराया है। प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत द्वारा की गयी संस्तुति एवं अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत द्वारा की गयी संस्तुति से अधोहस्ताक्षरी से सहमत है। प्रस्तावित भूमि की न्यूनतम माग एवं 5 गांव के 174 परिवार लाभान्वित होने से जनहित में प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है।

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Pmgsy

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 942 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 07.09.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :– लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग निर्माण **(प्रस्ताव संख्या 9917 / 2015)।**

संदर्भ :– आपका ऑन–लाइन।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.08.2015 को कार्यदायी संस्था एंव वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान निम्न कमियां संज्ञान में आयी जिसके निराकरण हेतु प्रस्ताव ऑन–लाइन के माध्यम से आपको वापस की जा रही है–

1– प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले 0–10 सेमी0 व्यास वर्ग के वृक्षों को सूची से अलग किया जाय।

2– वृक्षों के मूल गणना सूची में वृक्षों की संख्या को सही–सही दर्शाया जाय।

3– प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 चौड़ाई में ही की जाय तद्नुसार ही सीमाकंन कार्य करे।

4– प्रस्तावित परियोजना में विभिन्न प्रजातियों के अतिरिक्त 149 बांज के वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। प्रस्तावित मार्ग बांज का अविरल वन है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित स्थल बहुपयोगी प्रजातियों वाले वन से आच्छादित है जोकि भूमि एवं जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन वृक्षों के पातन से न केवल स्थानीय प्राकृतिक जल स्रोतों पर कुप्रभाव होगे बल्कि प्रर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसी अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाना उचित होगा।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 877 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 23-9-2015।

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमॉऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— लेटी रियासी तरकुली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9917 / 2015)

संदर्भः— आपका पत्रांक 942 / 12–1 दि0 07.09.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र वांछित सूचना / आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:—

1. प्रस्तावित परियोजना मे प्रभावित होने वाले 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग के वृक्षो की सूची वन भूमि प्रस्ताव लगायी गयी सूची (प्रपत्र 2.16) मे सम्मिलित नही की गयी है।
2. वृक्षो की मूल गणना सूची मे वृक्षो की संख्या सही दर्शायी गयी है।
3. प्रस्तावित परियोजना मे प्रभावित होने वाले वृक्षो की गणना 7 मीटर चौड़ाई मे ही की गयी है।
4. प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध मे प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना मे प्रस्तावित समरेखण मे संयोजित होने वाली बसावटे हियाली (जनसंख्या–11), बरकुम(जनसंख्या–198) रियासी बगनगांव(जनसंख्या–378) तरकुली(जनसंख्या–283) तथा आनडा(जनसंख्या–250) की कुल जनसंख्या 1120 है। यदि अन्य समरेखण का चयन किया जाता है तो उपरोक्त बसावटो मे से कुछ बसावटे संयोजित नही हो पायेगी। जिससे ग्रामवासियो द्वारा मार्ग निर्माण मे अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है क्योकि उपरोक्त सभी बसावटे पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर नेटवर्क मे सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त पूर्व मे ही सर्वेक्षण के दौरान एक वैकल्पिक समरेखण का चयन किया गया था जिसमे बाज के 300 वृक्ष आ रहे थे, केवल इसी वैकल्पिक समरेखण से उपरोक्त सभी बसावटे संयोजित हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प समरेखण से बसावटे संयोजित नही हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

(ए.के.गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।